UPEW010063352025

Presented on : 07-10-2025
Registered on : 07-10-2025
Decided on : 04-04-2026
Duration : 0 years, 5 months, 28 days

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, इटावा।

उपस्थित श्री अखिलेश कुमार..... एच०जे०एस०
JO CODE– UP6281

दण्ड निगरानी संख्या–217/2025

महादेवी, आयु लगभग 37 वर्ष, पत्नी स्व० सतेन्द्र, निवासिनी ग्राम नगला बुधू, मौजा–रीतौर, थाना–इकदिल, जिला इटावा।

....रिवीजनकर्ती

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य।
2. रामदत्त पुत्र मोती लाल,
3. अनिल कुमार पुत्र रामदत्त,
4. प्रेमचन्द्र पुत्र रामदत्त,
5. अनीष कुमार पुत्र रामदत्त,
   सर्वनिवासीगण–नगला बुधू, मौजा–रीतौर, थाना–इकदिल, जिला इटावा।
6. रामनरेश पुत्र भगवती प्रसाद, निवासी–नगला सिराय, मौजा–बाहरपुर, थाना भरथना, जिला इटावा।
7. वीरेन्द्र कुमार पुत्र हीरालाल, निवासी–नगला मोती, मौजा–नरेनी, थाना–इकदिल, जिला–इटावा।

– रेस्पोंडेन्ट्स

निर्णय

1– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी अंतर्गत धारा 397/399 दं0प्र0सं0, दण्ड निगरानी–217/2025 महादेवी बनाम स्टेट आफ उ.प्र. आदि, थाना इकदिल, जनपद इटावा में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–01, इटावा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.09.2025 के विरूद्ध दायर की गयी है, जिसमें परिवादिनी का परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 खारिज कर दिया गया है।

2– संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी ने उक्त वाद के विपक्षी संख्या–02 लगायत 08 के विरूद्ध प्रकीर्ण प्रार्थना–पत्र संख्या–509/2021 थाना–भरथना के विरूद्ध धारा–156(3) द०प्र०सं० के तहत अभियोग दर्ज कर

Digitally signed by AKHILESH KUMAR
Date: 2026.04.04 12:23:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विवेचना कराये जाने के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ए०सी०जे०एम० प्रथम इटावा को प्रस्तुत किया, न्यायालय के द्वारा दिनांक–25.08.2021 को संज्ञेय अपराध बनने पर अभियोग दर्ज विवेचना करने का आदेश पारित किया। न्यायालय के पारित आदेश के अनुपालन में विपक्षी संख्या–02 लगायत 8 के विरूद्ध थाना–भरथना में मुकद्धमा अपराध संख्या–450/2021 धारा–420,506 आई०पी०सी० का मुकद्धमा दर्ज हुआ। पुलिस के द्वारा विवेचना की गयी। विवेचक ने विपक्षी संख्या–2 लगायत 8 से मिलकर गलत विवेचना कर रिवीजनकर्ता व अन्य साक्षीगण के बिना बयान लिये, साक्ष्य विवेचना में ब्यान बिगाड़ कर विपक्षी संख्या–2 लगायत 8 को वैध दण्ड से बचाने के उद्देश्य से अंतिम आख्या संख्या–15/2022 अधीनस्थ न्यायालय में दाखिल की। रिवीजनकर्ता ने पुलिस के द्वारा अंतिम आख्या को निरस्त करने हेतु प्रोटेस्ट पिटीशन दायर किया। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई व विवेचना पपत्रों का अवलोकन कर एफ०आर० रद्द कर प्रोटेस्ट पिटीशन को दिनांक–10.06.2024 को परिवाद के रूप में स्वीकार किया गया। परिवादिनी ने धारा–200 द०प्र०सं० के तहत बयान अंकित हुये 202 द०प्र०सं० सी०डब्लू0–1 अरविन्द कुमार व सी०डब्लू0–2 देवेन्द्र कुमार का बयान अंकित किया गया। वादिनी ने अभिलेखीय साक्ष्य में फर्द सूची के साथ कागजात दाखिल किये। विपक्षी संख्या–2 रामदत्त ने प्रार्थिनी के पति के हिस्से की भूमि प्रार्थिनी की सहमति के बिना अन्य अभियुक्त अनिल कुमार, प्रेम चन्द्र, अनीष कुमार, जो प्रार्थिनी के पति के भाई है, उनको प्रार्थिनी के पति के हिस्से की भूमि का बैनामा गलत व फर्जी तरीके से करके प्रार्थिनी के हक व हिस्सा का बेईमानी से व धोखा धड़ी करके फर्जी दस्तावेज (बैनामा) तहरीर कराये गये है। प्रार्थिनी के द्वारा दायर दीवानी मुकद्धमा की जानकारी के बाद उक्त राम दत्त ने प्रार्थिनी के पति के हिस्से की जमीन को व अपने हिस्से की समस्त भूमि को अभियुक्तगण अनिल कुमार, प्रेम चन्द्र, अनीष कुमार के हक में एक ही दिन बैनामा का रजिस्ट्रेशन कराकर एक ही दिन दिनांक–25.03.2021 को उक्त बैनामा रजिस्टर्ड किये गये। जबकि रजिस्ट्रार (निबन्धक) भरथना में प्रार्थी की ओर से आपत्ति भी दाखिल की गयी। उक्त रजिस्ट्रार ने प्रार्थी की आपत्ति को दरकिनार करते हुये उक्त बैनामा रजिस्टर्ड किये। विपक्षीगण के द्वारा बैनामा रजिस्टर्ड से पूर्व दिनांक–25.02.2021 को शिकायती प्रार्थना–पत्र व दिनांक–06.03.2021 को तहसीलदार भरथना को प्रार्थना–पत्र दिया था तथा थानाध्यक्ष इकदिल को उचित कार्यवाही करने का आदेश हुआ था तथा दिनांक–21.03.2021 को सॉसद राम शंकर कठेरिया को प्रार्थना–पत्र दिया था तथा दिनांक–25.03.2021 को जिलाधिकारी महोदय, इटावा को प्रार्थना–पत्र दिया था, जिसमें सिविल न्यायालय के मुकद्धमा के आलोक में बैनामा का पंजीकरण रोक कर आख्या दे। उक्त आदेश श्रीमान जिलाधिकारी इटावा ने किया था। इसके बावजूद भी विपक्षीगण ने आदेश होने के बावजूद भी आदेश का पालन न करके हठधर्मी का परिचय देते हुये रजिस्ट्रार ने बैनामा पंजीकृत किये, जो अवैध व त्रुटिपूर्ण है। इसलिये सब रजिस्ट्रार पर आपराधिक केस बनता है। उक्त रजिस्ट्रार ने आपराधिक षडयंत्र करके उच्च अधिकारियों के आदेश की अनदेखी करते हुये हठधर्मता पूर्वक आपराधिक कृत्य करके उक्त अवैध बैनामा को रजिस्टर्ड किया। इन महत्वपूर्ण साक्ष्य को विवेचनाधिकारी को मेरे द्वारा सौंप दिया गया था। लेकिन विवेचक ने उक्त महत्वपूर्ण साक्ष्य का इन्द्राज विवेचना में नही किया और प्रार्थिनी व उसके साक्षीगण के ब्यान विवेचना में नही लिये। मेरे कई बार कहने पर उक्त विवेचक के द्वारा यह कहा गया कि अभी विवेचना चल रही है, आवश्यकता पड़ने पर आपके ब्यान लिये जायेंगे। प्रार्थिनी ने घटना के समर्थन में व न्यायालय में दिये गये प्रार्थना–पत्र 156 (3) में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में ब्यान विवेचक को दिये थे तथा प्रार्थिनी के साक्षीगण

तथा कई अन्य गवाह पेश किये थे तथा उक्त वाद के सह अभियुक्त राम नरेश पुत्र भगवती प्रसाद, वीरेन्द्र कुमार पुत्र हीरा लाल, ने यह जानते हुये कि मैं राम दत्त के पुत्र सतेन्द्र की विधवा पुत्रबधू और मेरे चार अवयस्क संतानें है, मेरा व मेरी संतानों का भरण पोषण कैसे होगा। उक्त गवाहों ने षडयंत्र करके धोखा धड़ी तरीके से प्रार्थिनी के पति के हिस्से की भूमि को भी राम दत्त से अन्य सह अभियुक्तगण के हक में करने के लिये प्रेरित किया और फर्जी तरीके से बैनामा में गवाही दी। उक्त रामनरेश व वीरेन्द्र कुमार जो पेशेवर गवाह है। इनका काम तहसील में घूमना और फर्जी बैनामा कराना व फर्जी गवाही देना है। प्रार्थिनी के चार अवयस्क संतानें है तथा उक्त वाद के अभियक्तगण ने प्रार्थिनी के पति के हिस्से की जमीन व प्रार्थिनी के ससुर राम दत्त ने अपनी समस्त भूमि को गलत तरीके से अनिल कुमार व प्रेम चन्द्र, अनीष कुमार को फर्जी तरीके से बैनामा कर दिया है तथा मुझे जमीन से भी बेदखल कर दिया है। प्रार्थिनी के समक्षः स्वयं का भरण व संतानों के भरण पोषण की जिम्मेदारी है। प्रार्थिनी महादेवी के पति की मृत्यु दिनांक–06.10.2016 को हो गयी थी तथा प्रार्थिनी के 4 संतानें है जिसमें पुत्री रोशनी उम्र 14 वर्ष, स्वेता उम्र 12 वर्ष, मनू उम्र 09 वर्ष व दीप्ती उम्र 07 वर्ष है। अधीनसथ न्यायालय ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया उपरोक्त मामला सिविल प्रकृति का होना प्रतीत होता है, जिसके सम्बन्ध में परिवादी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उजरदारी कर सकती है। जबकि प्रार्थिनी कथन रहा कि प्रार्थिनी का पूर्व में विपक्षी संख्या–2 लगायत 7 पर दीवानी न्यायालय इटावा महादेवी आदि बनाम रामदत्त आदि वाद संख्या–828/2018 दायर किया था, जिसमें दिनांक–28.09.2018 को विपक्षी रामदत्त हाजिर आया, कई तिथियों पर हाजिर आया। सिविल न्यायालय में दौरान मुकद्धमा प्रार्थिनी के मृतक पति के हिस्से की भूमि 4 बीघा का बैनामा दिनांक–25.03.2021 को धोखा धड़ी करके अपने अन्य जीवित पुत्रों विपक्षीगण अनिल, प्रेम चन्द्र अवनीश है, उनके नाम कर दिया। फिर न्यायालय दीवानी के मुकद्धमें में हाजिर होने के बाद धोखा धड़ी करके बैनामा किया। प्रार्थिनी ने विपक्षी राम दत्त को बैनामा रोकने के सम्बन्ध में दिनांक 12.02.2021, 06.03.2021 को प्रार्थना–पत्र एस०डी०एम० भरथना, जिलाधिकारी इटावा को दिया। न्यायालय में विचाराधीन मुकद्धमें के आलोक में बैनामा का पंजीकरण रोक दे का आदेश रजिस्टार भरथना को जिलाधिकारी इटावा ने किया था। प्रार्थिनी के उक्त कार्यवाही करने के बाद भी बैनामा कर दिया गया। इस तरह से विपक्षी संख्या–2 लगायत 8 ने धोखाधड़ी करके मृतक पति के हिस्से की भूमि 4 बीघा को बेईमानी से हड़प कर फर्जी बैनामा किया गया। इस तरह से विपक्षीगण पर धारा 420, 506 भा.दं.सं. का अपराध बखूबी साबित है। उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांकित 02.09.2025 अपास्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3– निगरानीकर्ती द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आदेश दिनांकित 02.09.2025 की सत्यापित प्रति दाखिल की गयी है।

4– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी में रिवीजनकर्ती के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी सं० 1 राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

5– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी में रिवीजनकर्ता की ओर से विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.09.2025 को निगरानी में अंकित आधारों पर प्रश्नगत करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर, निगरानी स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है ।

6– राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी

द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.09.2025 को जो आदेश पारित किया है, वह तथ्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का विधिनुसार परिशीलन करने के उपरांत पारित किया गया है। इसलिए वह उचित आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। उक्त आधार पर निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है ।

7– उपरोक्त तर्कों के संबंध में मैंने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया ।

8– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी में निगरानी न्यायालय को यह तय करना है कि **क्या विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामले में दिनांक 02.09.2025 को निगरानीकर्ता का जो परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं.प्र.सं. में खारिज किया गया है, में कोई विधिक त्रुटि, अनियमितता कारित की है?**

9– इस सम्बंध में मैंने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.09.2025 का परिशीलन किया। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में अंकित आधारों पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.09.2025 जिसके द्वारा निगरानीकर्ता/परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं.प्र.सं. खारिज किया गया है, को चुनौती दी गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि निगरानीकर्ती महादेवी एवं विपक्षी सं०–2 लगायत 5 आपस में परिवारीजन है तथा विपक्षी सं०–2 परिवादिनी के ससुर है। निगरानीकर्ता द्वारा अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.09.2025 को इस आधार पर प्रश्नगत् किया है कि विपक्षी सं०–2 द्वारा उसके पति की चार बीघा जमीन का बैनामा दिनांक 25.03.2021 को अपने पुत्रों विपक्षी सं०–3 लगायत 5 के पक्ष में कर दिया है। जबकि उक्त संपत्ति उसके पति की थी, जिनकी बीमारी के दौरान सन् 2016 में मृत्यु हो गयी है।

10– इस बिंदु पर विपक्षीगण की ओर से मौखिक रूप से आपत्ति करके कहा गया है कि विपक्षी सं०–02 रामदत्त खतौनी में उल्लिखित कृषि भूमि के संक्रमणीय भूमिधर है, जिन्हें संपत्ति का अंतरण करने का पूर्ण अधिकार है। उनके अंतरण के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। निगरानीकर्ता की ओर से ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें कृषि भूमि उनके पति के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो।

11– यहां पर उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि में सहदायिकी के नियम प्रयोज्य नहीं होते है। कृषि भूमि का रेगुलेशन/संचालन उक्त अधिनियम में दिये गये प्रावधान के अनुरूप किया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विपक्षी सं०–2 रामदत्त, जोकि निगरानीकर्ता महादेवी के सगे ससुर है, **राजस्व अभिलेख खतौनी फसली वर्ष 1425–1430 निगरानीकर्ता की ओर से दाखिल की गयी है, के परिशीलन से स्पष्ट है कि खसरा सं०–89, क्षे. 2.4640 में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में रामदत्त पुत्र मोतीराम व रामहेतु पुत्र मोती, निवासी नगला यवधू अंकित है।** उक्त खतौनी के परिशीलन से स्पष्ट है कि रामदत्त उक्त कृषि भूमि में ½ भाग के मालिक काबिज संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त खतौनी में निगरानीकर्ता के पति का उल्लेख नहीं है। स्थापित विधि यह है कि संक्रमणीय भूमिधर अपने जीवनकाल में उक्त संपत्ति के अनन्य अंतरण का अधिकार रखता है। उसके अंतरण के अधिकार पर कोई अवरोध नहीं है। इसलिए विपक्षी सं०–2 ने अपने जीवनकाल में विपक्षी सं०–3 लगायत 5 के पक्ष में पंजीकृत

बैनामा दिनांक 25.03.2021 को निष्पादित किये है। उन्हें करने का कानूनन विपक्षी सं०–2 रामदत्त को विधिक अधिकार प्राप्त है। इसलिए धारा 420,506 भा.दं.सं. का कोई अपराध विपक्षीगण के विरूद्ध न बनने के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का परिवाद 203 दं.प्र.सं. के तहत निरस्त किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 156(3) दं.प्र.सं. पर जो मुकदमा थाना हाजा पर दर्ज किया गया है, जिसकी विवेचना विवेचक द्वारा की गयी है। विवेचना के क्रम में विवेचक ने यह पाया है कि विपक्षी सं०–2 रामदत्त राजस्व अभिलेख खतौनी में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। जिसके अंतरण के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का परिवाद धारा 203 दं.प्र.सं. निरस्त करने में कोई अनियमितता, क्षेत्राधिकार संबंधी भूल व अवैधानिकता कारित नहीं की है, बल्कि न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए विधिसंमत आदेश पारित किया है, जिसमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने का आधार नहीं है। अतः निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है एवं विचारण न्यायालय का आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी 217/2025, महादेवी बनाम उ0प्र0 राज्य आदि बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.09.2025 पुष्ट किया जाता है। दाण्डिक निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय की प्रति, आवश्यक कार्यवाही हेतु विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

दिनांक 04.04.2026

(अखिलेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–1, इटावा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया जाकर उदघोषित किया गया।

दिनांक 04.04.2026

(अखिलेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–1, इटावा।